न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल,आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
15/2023	प्रा0पत्र 111, 128 LRA	02.03.2023	20.03.2024

1. नोरतमल पुत्र इन्द्रचंद जाति माली निवासी कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
2. रमेश चन्द्र पुत्र इन्द्रचंद जाति माली निवासी कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
3. शंकरलाल पुत्र इन्द्रचंद जाति माली निवासी कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
4. हंसराज पुत्र इन्द्रचंद जाति माली निवासी कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान

—प्रार्थिगण—

बनाम

1. कमला पूनियां पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी नया बास चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
2. सांवरमल पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
3. सीमा पत्नी जयप्रकाश सिगड़ जाति जाट निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
4. अमन खान पुत्र सकील खान जाति कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू
5. धर्मचन्द्र जांगिड़ पुत्र मुरारीलाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम गांगियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनु राजस्थान
6. राजथान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू राजस्थान

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार लाम्बा प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री मोहरसिंह लाम्बा अप्रार्थी सं. 2
3. अधिवक्ता श्री पंकज प्रजापत अप्रार्थी संख्या 1, 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 का पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1105 तादादी 0.7082 [illegible] नम्बर 1106 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 0.9611 हैक्टयर वाके रोही [illegible] चूरू तहसील व जिला चूरू के है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त [illegible] प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2071—2074 शामिल प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जो कि प्रार्थीगण के ही कब्जा काश्त खातेदारी में निर्बाध रूप से चली आ रही है।

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2023 को सीमाज्ञान बाबत् दिया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.02.2023 को सीमाज्ञान शुल्क जमा करवा दिया गया। जिस पर तहसीलदार कार्यालय चूरू द्वारा रिपोर्ट कर हल्का पटवारी ने दिनांक 16.02.2023 के आदेश के सन्दर्भ में उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाया और अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि उक्त भूमि मौके पर जरीब चलाकर उपस्थित खातेदारों को करवाया गया। भूमि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कम पाई गइ। उक्त खसरे में सीमाज्ञान के दौरान मुताबिक रिकॉर्ड के मौके पर रकबा कम जिसके बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को सीमाज्ञान व पत्थरगढी के लिए यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है। जिसके साथ इस उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

यह कि उक्त कृषि भूमि के उतर पूर्व व पूवी सींव पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा क्षतिग्रस्त क्षीण व जर्जर हालत में है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है।

इसलिए उक्त विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थर गढी करवाई जावे जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बीच सीमा सम्बन्धित विवाद समाप्त हो सके यह कि प्रार्थीगण कि उपर पैरा संख्या 04 में वर्णित सींव को काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जरजर हालात करने पर उतारू है इसिलए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि पुख्ता सीमाज्ञान व पत्थर गढी उक्त कृषि भूमि की करवाई जावे इसलिए यह उक्त विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण सभ्य एवं भोल–भाले कृषक है मगर मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जरजर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है। इसलिए प्रार्थीगण के लिए सीमाज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा नम्बर 1105 तादादी 0.7082 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1106 तादादी 0. 2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 0.9611 हैक्टयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवाकर पुख्ता चिन्ह पत्थरगढी लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण के लिए जरूरी हो गया है ि कवह अपने खेत का पुख्ता सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ोसी से कोई भूमि सीमाज्ञान से सम्बन्धित विवाद नहीं रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:12 IST
Reason: SelfAttested

सभी प्रकिया तहसीलदार के मा[illegible] होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थीगण [illegible] है।

प्रार्थीगण पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेगा तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।

विवादित कृषि भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा नम्बर 1105 तादादी 0.7082 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1106 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 0.9611 हैक्टयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह पत्थर गढी करवाया जावे एवं प्रार्थीगण उचित शुल्क दिये जाने हेतु तैयार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पर विधिवत् तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से पंकज प्रजापत ने वकालत नामा पेश किया व अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि 1105 तादादी 0.7082 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1106 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 0.9611 हैक्टयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू के दक्षिण व पूर्वी सींव पर अप्रार्थीगण 1 ता 5 की कृषि भूमियां है जिस पर अप्रार्थीगण 01 ता 03 की भी कुछ सींव है जो कि क्षतिग्रस्त क्षीण व जरजर हालात में होने से एवं सींव स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थीगण व सभी अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होने की संभवना है प्रार्थीगण के उपर्युक्त विवादित सींव पर कुछ भू माफिया के द्वारा प्लॉटिंग करने के कारण दानों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण अप्रार्थीगण 01 ता 03 की ओर से सहमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने से अप्रार्थीगण 01 ता 03 की सींव की स्थिति स्पष्ट अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना –पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 1105 तादादी 0.7082 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1106 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 0.9611 हैक्टयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवाया जावे पुख्ता सीमा चिन्ह पत्थर गढी करवाई जावे ताकि अप्रार्थीगण 01 ता 03 की सींव की स्थिति स्पष्ट हो सके ।

तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई जो प्राप्त हुई।

तहसीलदार चूरू की ओर से प्राप्त जांच रिपोर्ट इस प्रकार है। पटवारी हल्का कस्बा चूरू ने अपनी रिपोर्ट में यह अवगत करवाया है कि ग्राम कस्बा चूरू की खसरा नम्बर 1105 व 1106 तादादी 0.7082 हैक्टेयर व 0.2529 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी नोरतमल, रमेश चन्द्र, शंकरलाल, हंसराज पि. इन्[illegible]त माली निवासी चूरू के नाम से उक्त दर्ज है वर्तमान उक्त दोनों खसरों की भूमि मौके पर खाली है खसरा नम्बर 1105 के चितपा उतर पूर्व खसरा नम्बर 3037/1171 तादादी 0.2529 हैक्टेयर भूमि पर प्लॉटिंग का कार्य कर पक्का निर्माण किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति के अनुसार प्रार्थीगण की मौके पर भूमि राजस्व रिकॉर्ड की भूमि से कम है। जमाबंदी सम्वत् 2074 रोही ग्राम चूरू खसरा नम्बर 1105, 1106 प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। जमाबंदी सम्वत् 2074 रोहीग्राम चूरू खसरा नम्बर 1899/1102 अप्रार्थी कमला, सांवरमल, सीमा की खातेदारी की भूमि है। जमाबंदी सम्वत् 2074 रोही ग्राम चूरू खसरा नम्बर 3037/1771 अप्रार्थी अमन खान व धर्मचंद जांगिड़ की खातेदारी की भूमि है। जमाबंदी सम्वत् 2074 रोही ग्राम चूरू खसरा नम्बर 2757/1107 व 2759/1670 आलोक सुराणा मंजू संगीता की खातेदारी की भूमि है। रिपोर्ट पटवरी के अनुसार उक्त वादगत भूमि खसरा नम्बर 1105 व 1106 के उतरी तरफ प्लॉटिंग कर पक्का निर्माण किया हुआ है। जवाब अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के अनुसार वादगत भूमि खसरा संख्या 1105, 1106 के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी सीमा जर्जर हालत में तथा उक्त वादगत भूमि के पास ही उतरी तरफ भूमाफियों द्वारा प्लॉटिंग कार्य किये जाने पर दोनों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है।

उपरोक्त जमाबन्दी एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का चूरू के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा मौके पर प्रार्थीगण की भूमि कम है इसलिए नियमानुसार प्रार्थीगण को अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में में अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 पर एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 उक्त प्रकरण में पत्थरगढी करवाये जाने पर सहमत है। प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थिनीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम चूरू के ख.नं. 1105 तादादी 0.7082 हैक्टेयर व खसरा नं. 1106 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 0.9611 हैक्टेयर की नपती हेतु प्रार्थिनीगण से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:12 IST
Reason: SelfAttested

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्टेट,
चूरू